छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्रमांक 34 /एफ–62B/संपदा/ 2023 नवा रायपुर दिनॉक 08/09/2023

!! आदेश !!

विषयः– विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी रायपुर में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आबंटित भूखण्डों को पुनः विक्रय करने के संबंध में।

––000––

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा शासन के पत्र कमांक एफ–7/27/2016/32 नवा रायपुर दिनांक 13.07.2016 के दिशा–निर्देश अनुरुप में विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी रायपुर में कुल 196 भूखण्डों का विकास कार्य पूर्ण कर अखिल भारतीय सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग, अखिल भारतीय सेवा के छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत, माननीय न्यायाधीश एवं उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को आबंटित किया गया है। विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी हेतु जारी दिशा–निर्देश के पृष्ठ क्र. 03 एवं बिन्दु क्र. 03 अनुसार गृह निर्माण मण्डल द्वारा जिस व्यक्ति अथवा संस्था को भूखण्ड अथवा मकान बेचा जायेगा, वह उसे कम से कम 10 वर्ष तक नहीं बेच सकेगा।

छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. एफ–3–04/2020/32 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31/12/ 2020 जारी करते हुए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित शासकीय भूमि पर आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्ति को फ्री–होल्ड में संपरिवर्तन करने निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्यालय को कतिपय प्रकरणों में ज्ञात हुआ है कि, विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी, रायपुर के आबंटी अपना आबंटित भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करना चाह रहे है, किंतु शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित भूखण्ड विकय करना 10 वर्ष तक प्रतिबंधित है। तत्संबंध में मुख्यालय स्तर पर समिति का गठन किया जाता है। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैः–

(1) अपर आयुक्त, दुर्ग
(2) अपर आयुक्त, बिलासपुर,
(3) अपर आयुक्त, रायपुर,
(4) मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्यालय, नवा रायपुर
(5) मुख्य संपदा अधिकारी, मुख्यालय, नवा रायपुर
(6) प्रशासकीय अधिकारी, मुख्यालय नवा रायपुर

उपरोक्त समिति गुण–दोष आधार पर अपना प्रतिवेदन विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी में आबंटित भूखण्ड विकय करने के लिए 10 वर्ष के प्रतिबंध एवं आबंटित भूखण्ड के विकय विलेख के ड्राफ्ट संशोधन में आवश्यक सुधार कर अनुशंसा सहित आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

(आयुक्त महोदया के आदेशानुसार)

08/9/2023

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

...028/संपदा/23

नवा रायपुर दिनॉक 08/09/2023

प्रति,

1. फील्ड ऑफिसर आयुक्त महोदया, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
4. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
6. आवेश प्रस्ती/गार्ड फाईल।

08/9/2023

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर